

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

- ✓ 1.अपील संख्या 590/2013/जोधपुर
2.अपील संख्या 591/2013/जोधपुर
3.अपील संख्या 592/2013/जोधपुर

जिनेऊ
मैसर्स काकरी हाउस
सर्साफा बाजार, जोधपुर

बनाम

अपीलार्थी

उपायुक्त(प्रशासन)
वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर

प्रत्यर्थी

- 4.अपील संख्या 554/2013/बाडमेर

मैसर्स जनता स्वीट होम प्रा.लि.
जोधपुर

बनाम

अपीलार्थी

उपायुक्त(प्रशासन)
वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर

प्रत्यर्थी

- 5.अपील संख्या 549/2013/बाडमेर

मैसर्स स्वदेशी मिल्स
बालोतरा

बनाम

अपीलार्थी

उपायुक्त(प्रशासन)
वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर

प्रत्यर्थी

- 6.अपील संख्या 1215/2013/बाडमेर

मैसर्स स्वदेशी मिल्स
बालोतरा

बनाम

अपीलार्थी

उपायुक्त(प्रशासन)
वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री एम.सी.लूकड
श्री आर.आर. सिधवी(अपील संख्या 1215/2013)
अभिभाषकगण
श्री एन.के. बैद
उप राजकीय अभिभाषक

अपीलार्थीगण की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 28.02.2014

निर्णय

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा छह अपीलें उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, (प्रशासन), जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.02.2013 एवं 24.01.2013, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) के प्रावधानानुसार पारित किया गया है, के विरुद्ध

—2—अपीलसंख्या 590,591,592,554 / 2013 / जोधपुर व 549 एवं 1215 / 2013 / जोधपुर प्रस्तुत की गयी है तथा जिसमें सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोधपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 25(1) व 61 के तहत पारित निर्धारण आदेश दिनांक 19.03.2012, निर्धारण वर्ष 2009-10, 2010-11 व 2011-12, 2012-2013 के संबंध में कायम की गयी मांग राशि के विरुद्ध अधिनियम की धारा 68(1) के तहत निर्धारित प्ररूप प्रस्तुत वैट-60 में प्रस्तुत प्रशमन आवेदन पत्र को "अपीलीय अधिकारी" द्वारा अस्वीकार किया गया है, जिससे असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से ये 6 अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

अपीलार्थियों के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश प्रथम दृष्टया विधि के विरुद्ध हैं। इस संबंध में अग्रिम तर्क दिया कि अपीलार्थी व्यवहारी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 25 व 61 के तहत दिनांक 19.03.2012 को निर्धारण आदेश पारित किया गया है एवम् अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपराध के शमन हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 20.03.2012 को प्रस्तुत किया गया था जिसे अपीलीय अधिकारी (प्रशासन) जोधपुर द्वारा दिनांक 08.02.2013 का खारिज किया गया। इस संबंध में अग्रिम अभिवाक् दिया कि तकरीबन नौ माह पश्चात् उसका शमन प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है एवम् इस दौरान अपीलार्थी व्यवहारी को विश्वास था कि उसका शमन प्रार्थना पत्र स्वीकार हो जायेगा एवम् तदनुसार देय राशि भी जमा करा दी गयी थी परन्तु शमन आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया। इस संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवायी का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियमों 2006 के नियम 48 के तहत एक विधिक आवश्यकता है। इसी प्रकार प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों की अवहेलना कर, एकपक्षीय निर्धारण आदेश पारित किया गया है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर 6 अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा निर्धारण अधिकारी एवम् संक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा फार्म वैट 60 नियम 74(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अन्तिम पैरा में अपना अपराध स्वीकार किया है, जिसमें निम्न प्रकार अंकित किया:—

"In this regard, it is submitted that I admit the offence and request for composition of the offence in lieu of penalty or prosecution."

उनका कथन है कि उक्त प्रार्थना पत्र स्पष्ट रूप से अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अंकित किया गया है कि उसे नोटिस प्राप्त हो चुका है। विभागीय प्रतिनिधि ने उक्त कथन के आधार पर समस्त छह अपीलें अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।


उभय पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवम् अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 68(1) के प्रावधानानुसार कारित अपराध के लिये कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कायम की गयी राशि को अधिनियम के प्रावधानानुसार शमन करने हेतु निर्धारित व्रैट प्ररूप-60 में आवेदन किया गया है जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है कि "धारा 61(1) में दुगुनी शास्ति आरोपण आदेश होने तथा तदनुसार मांग पत्र जारी होने के बाद प्रशमन कार्यवाही किया जाना उक्त धाराओं के अनुकूल नहीं है" इस सन्दर्भ में अधिनियम की धारा 68(2) का अध्ययन करना समीचीन होगा, जिसमें स्पष्टतया वर्णन है कि धारा 68 (1) में प्रस्तुत आवेदन पत्र को सम्बन्धित उपायुक्त(प्रशासन) को अपराध शमन हेतु (प्रावधान में अर्न्तनिहित शर्तों के अनुसार) स्वीकार कर सकता है। अपीलार्थियों के विद्वान अभिभाषक का मुख्य कथन है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश पारित किये गये हैं, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध है। इस सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान राजस्थान मूल्य परिवर्धित नियम, 2006 के नियम 48 का उल्लेख किया है। नियम 48 निम्न प्रकार है :-

"48. Granting opportunity of hearing and recording of reasons,- Where an assessing authority or any other officer, enhances the admitted tax liability of a dealer, or imposes a penalty on him or on any other person under the provisions of the Act or the Rules, or passes any order detrimental to their interest, the said authority or officer shall record the reasons thereof, and no such order shall be passed unless the dealer or the person has been given a reasonable opportunity of being heard.

उपरोक्त नियम के परिप्रेक्ष्य में आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है, जबकि हस्तगत प्रकरणों में अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थियों को सुनवाई का अवसर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार प्रदान नहीं किया गया है। अतः अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों को अपास्त करते हुए प्रकरण अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थियों को सुनवाई का एक अवसर प्रदान कर व्यवहारी अपीलार्थियों के आफेन्स शमन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार/स्वीकार करने के सम्बन्ध में तथ्यों की विस्तृत विवेचना करते हुए और इस निर्णय की प्राप्ति के पश्चात् दो माह की अवधि में पुनः सुसंगत एवं विधि अनुकूल निर्णय पारित करें।

फलस्वरूप छहों अपीलें स्वीकार करते हुए प्रकरण अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाते हैं।

निर्णय सुनाया गया।


(सुनील शर्मा)
सदस्य